

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 934 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RAJAT VERMA

..... APPLICANT

VERSUS

MEMBER SECRETARY UP POLLUTION CONTROL  
BOARD. & ORS.

..... RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-9
2.	<u>ANNEXURE-R1/1</u> Joint committee Report	10-21
3.	<u>ANNEXURE-R1/2</u> True copy of the analysis report	22-31
4.	<u>ANNEXURE-R1/3</u> Inspection Report	32-46
5.	<u>ANNEXURE-R1/4</u> Environment Compensation imposed till year 2024	47-122
6.	<u>ANNEXURE-R1/5</u> Sequence of letter have been sent to District magistrate	123-135

NEW DELHI

DATED: 25 .11.2024



**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**

Counsel for U.P. Pollution Control Board,

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 934 of 2024



IN THE MATTER OF:

Rajat Verma

.... Applicant

Versus

Member Secretary, Uttar Pradesh  
Pollution Control Board & Ors.

.... Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT No.-1, UTTAR  
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE  
TO THE ORDER DATED 03.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE  
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW

DELHI.

I, Amit Mishra S/o Shri D. P. Mishra, aged about 44 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), office at 5243, Sadbhavana Nagar, Awas Vikas, Phase III, Kalyanpur, Kanpur Nagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. I say that I am the Regional Officer of the Respondent in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case, am competent to swear this affidavit.

*[Handwritten signature]*

2. That present matter is about the illegal operation of tanneries in Kanpur Nagar.
3. That vide its order dated 03.09.2024 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) has impleaded the UPPCB as Respondent No.-1 and directed to filed a reply/response by way of affidavit through e-filing.
4. That in pursuance to the order dated 03.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Kanpur Nagar vide its letter no.-963(A)/S.T.-2024 dated 17.09.2024 has constitute a District Level Committee comprising the Additional City Magistrate (IInd), Kanpur Nagar, Deputy Commissioner, District Industry Promotion and Entrepreneurship Development Centre, Kanpur Nagar, Executive Engineer, KESCO, Kanpur Nagar, UPPCB and Project Manager, UP Jal Nigam, Rural regarding the inspection of the tanneries units involved in the present matter.



That further in compliance to the order dated 03.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the above constituted District Level Committee has jointly inspected the 24 tanneries respectively on 03.10.2024 and 04.10.2024. The report of the joint committee is being attached herewith as Annexure No.-R1/1.

6. The District Level Committee has collected the water samples from the outlet of the Primary Effluent Treatment Plant (PETP) of the

tanneries found operational and sent the same for the analysis in the authorised laboratory of the UPPCB. The analysis report is being attached herewith as Annexure No.-R1/2.

7. That it is pertinent to mention here that during the course of joint inspection dated 03.10.2024 and 04.10.2024, Out of total 24 Tannery units, 04 Tanneries were found closed in compliance with the closure order issued by UPPCB and 01 Tannery unit was found not operating due to its own reasons, 09 Tannery units were found closed in compliance with the effective roster and Other 10 tannery units were found operational because the roster period was not effective. Production was found to be carried out at 50 percent capacity and the industrial effluent was found to be discharged as per the standard through the PETP.

8. That remaining 09 tanneries which were found closed on 03.10.2024 and 04.10.2024 were re-inspected on 18.10.2024 ineffective roster period by the officials of the Regional Office, UPPCB Kanpur Nagar. Production was found to be carried out at 50 percent capacity and the industrial effluent was found to be discharged as per the standard through the PETP. The inspection report is being attached herewith as Annexure No.-R1/3.


9. That it is also worthwhile to mention here that total 400 tanneries are established in the Jajmau region. Out of 400 tanneries, 265 tanneries



are presently operational, 41 tanneries have been dismantled, 13 tanneries have been converted into dry work and remaining 81 tanneries are closed. With regard to the operational tanneries in Jajmau region the PETP is installed for the treatment of industrial effluent. The Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) is installed at the outlet of the PETP and also connected to the server of Central Pollution Control Board (CPCB).

10. That the details of current chrome handling system, Chrome recovery plant is installed in tanneries for disposal of chrome liquor generated by tanneries produced through chrome tanning method, through which chrome liquor is purified and reused.
11. That further it is stated that those tanneries which do not have chrome recovery plant installed or small tanneries having less than 50 hides/day capacity, are sending chrome liquor for purification to the common chrome recovery plant of 70 KLD capacity established at Jajmau. Common Chrome Recovery Plant is being established / operated by Nagar Nigam, Kanpur. The details of the units installed in the Common Chrome Recovery Plant are as follows:-

Connection Tank (02 nos.-each tank capacity 35.0 KL), Equalization Tank (02 nos.-each tank capacity 35.0 KL), Chemical Preparation Tank (03 nos.-each tank capacity 4.40 KL), Reaction cum Settling Tank (02 nos.-each tank capacity 8.80 KL), Sludge Collection Tank



(02 nos.-each tank capacity 4.0 KL), Centrifugal (02 nos.), Sludge Dissolution Tank (02 Nos.-Each Tank Capacity 2.0 KL), Storage Tank (01 no.Capacity 10.0 KL).

12. That out of 265 operating tanneries, 204 units are based on chrome tanning method in which 72 tanneries have their own chrome recovery plant and the remaining 132 units are members of common chrome recovery plant. Further rest 61 tanneries out of 265 tanneries are based on split/vegetable tanning process.

A Common Chrome Recovery Unit (CCRU) plant of 900 KLD capacity (3x300 KLD) is installed in the premises of the newly constructed 20 MLD CETP. In which 10 SCREW FILTER PRESS are installed. The collection of spent chrome-liquor in the 900 KLD CCRU installed in the CETP premises will be done by 12 tankers (8.5 KL capacity each). Collection of spent chrome-liquor by tankers is to be done through GPS system. Recovery of chromium can be achieved by separating the chromium compounds from other salts in the waste liquor, membrane separation, ion-exchange and precipitation of Chromium by Chemical dosing such as alkali NaOH (Sodium Hydroxide), MgO (Magnesium Oxide) and Ca(OH)<sub>2</sub> (Calcium Hydroxide).

In the above mentioned options Chemical Precipitation by MgO dosing is proven as one of the most efficient and feasible



operation. Thus the method of recovery is followed in the CCRU of 20 MLD CETP Jajmau project.

13. That in Jajmau region at Kanpur Nagar there are Budhiya Ghat Tannery Pumping Station-04, Sheetla Bazar Tannery Pumping Station-02 and Chhabilepurwa Tannery Pumping Station-01 which are connected with Newly 20 MLD Common Effluent Treatment Plant (CETP) whose operation has been started from dated 08.08.2024 and by using the above tannery pumping stations, the waste generated by tannery is combindly treated through main pumping station (Wajidpur Tannery Pumping Station-03) to 20 MLD CETP. Further the treated effluents have been used in accordance with Rules for irrigation purpose through the irrigation channel. Furthermore, the untreated sewage is treated through the STP (130MLD, 43 MLD, 36MLD-old CETP) operating in Jajmau region.

That the officials of the UPPCB during the inspection dated 01.10.2024 and 08.10.2024 has collected the water sample of irrigation channel and effluent water sample collected from inlet and outlet of 20 MLD CETP and found that the same is within the prescribed limit. The details of the analysis are reproduced herein under:



*[Handwritten signature]*


**Analysis Data of 20 MLD CETP, Jajmau Kanpur Nagar**

Sampling Point	Date	Colour (Hazen/Apearance)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	T.Cr (mg/l)
20 MLD Inlet	01.10.2024	Grey	8.11	78	320	176	8.46
20 MLD Outlet	01.10.2024	50	8.02	25.5	160	56	1.58
20 MLD Inlet	08.10.2024	Grey	8.13	66	260	172	9.82
20 MLD Outlet	08.10.2024	50	8.04	24	140	66	1.64
Treated effluent Standard			6.0-9.0	30	250	100	2.0

**Irrigation Channel**

Sampling Point	Date	Colour (Hazen/Apearance)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	T.Cr (mg/l)
Irrigation Channel	01.10.2024	50	7.88	75	180	98	0.76
Irrigation Channel	08.10.2024	50	7.78	84	160	92	0.93
	Standard	-	5.5-9.0	100	-	200	-

15. That in Gajjupurwa, Sheetla Bazar, Moti Nagar, Saraiyya, Wajidpur region in Jajmau at Kanpur Nagar there are 2 drains i.e. at Sheetla Bazar and Wajidpur. The said drains are tapped with Sheetla Bazar Sewage Pumping Station and Wajidpur Sewage Pumping Station which has been treated through the STP (130MLD, 43 MLD, 36MLD- Old CETP) operating in Jajmau region. That the officials of the UPPCB during the inspection dated 01.10.2024 and 08.10.2024 has collected the water sample of effluent from inlet and outlet of 130 MLD STP, 43 MLD STP & 36 MLD STP (Old CETP) and found that the same is not within the prescribed limit. The details of the analysis are reproduced herein under:

ANALYSIS DATA OF 43 MLD STP INLET & OUTLET JAJMAU							
DATE	Sampling point	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	TSS(mg/l)	TC (MPN/100ml)	FC (MPN/100ml)
01-10-2024	Outlet of STP	7.92	69	190	76	170000	110000
08-10-2024	Outlet of STP	Sample could not be taken as no effluent was in the STP as it was under maintenance work of STP					
	Standard:-	6.5-9.0	30	NA	100	NA	<1000
ANALYSIS DATA OF 130 MLD STP INLET & OUTLET JAJMAU							
DATE	Sampling point	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	TSS(mg/l)	TC (MPN/100ml)	FC (MPN/100ml)
01-10-2024	Inlet of STP	7.58	174	320	530	280000	170000
01-10-2024	Outlet of STP	7.88	72	180	68	150000	70000
08-10-2024	Inlet of STP	7.54	168	300	460	210000	170000
08-10-2024	Outlet of STP	8.0	39	160	52	170000	140000
	Treated Standard:-	6.5-9.0	30	NA	100	NA	<1000
ANALYSIS DATA OF 36 MLD STP (OLD CETP) INLET & OUTLET JAJMAU							
DATE	Sampling point	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	TSS(mg/l)	TC (MPN/100ml)	FC (MPN/100ml)
01-10-2024	Inlet of STP	7.41	150	340	525	310000	170000
01-10-2024	Outlet of STP	7.92	63	170	62	170000	94000
08-10-2024	Inlet of STP	7.38	174	320	725	340000	210000
08-10-2024	Outlet of STP	7.66	57	180	138	130000	79000
	Treated Standard:-	6.5-9.0	30	NA	100	NA	<1000




46. That U.P. Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation against the operator of STP's at Jajmau Kanpur i.e. Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural) Kanpur, GPCU U.P. Jal Nigam (Urban) Kanpur, M/s Kanpur River Management Pvt Ltd, Kanpur from time to time on the basis of different defaults. The summery detail of imposition of

Environmental Compensation imposed till year 2024 is enclosed herewith as Annexure No.-R1/4.

17. That the notice / reminder letters in relation to the recovery of imposed environmental compensation have been sent by the Regional Officer, UPPCB, Kanpur Nagar to the defaulter concern departments Ganga Pollution Control Unit, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural and Urban) and company M/s Kanpur River Management Pvt. Ltd. In this sequence, letters have been sent to the District Magistrate, Kanpur Nagar for recovery of land revenue. The letters are being attached herewith as Annexure No.-R1/5.

18. That the Annexure annexed to the present accompanying Affidavit is true copy of their respective original.

19. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.



*[Signature]*  
DEPONENT

**VERIFICATION:**

Verified at Kanpur Nagar on this the 21<sup>st</sup> day of November, 2024 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*[Signature]*  
DEPONENT

9 | Page 0  
Sworn before me on this 21<sup>st</sup> day of November 2024 at Kanpur Nagar (U.P.) by *[Signature]* to whom the contents of this affidavit have been read over and explained who is duly identified by *[Signature]* on 21/11/24  
A. K. Tiwari (Advocate)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 934/2024 रजत वर्मा बनाम सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन में जाजमऊ परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित टैनरी इकाईयों की रोस्टर/अवैध संचालन/अनुमन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की जाँच आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 934/2024 रजत वर्मा बनाम सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

....."1. This original application has been registered on the basis of a letter petition sent by one Rajat Verma, a resident of Kanpur raising the grievance against the illegally operating tanneries in Kanpur Nagar. The letter petition states that as per the government orders tanneries can operate only for 15 days in a phased manner whereas they are operating for the entire 30-day period in a month. The allegation has also been made in respect of a broken pipeline going to the STP resulting in the discharge of polluted water in River Ganga. The letter petition alleges that the tanneries in Gajjupoorva, Sheetla Bazar, Moti Nagar, Saraiyya, Wazidpur of Jajmau are openly discharging the polluted water in the drains. The letter petition discloses the name of illegally operating tanneries as Jamaal Industries (Jungle Tannery), Pahlwan Tannery, Gajala Tannery, Seema Tannery, Supreme Tannery, Merit Tannery, Shalimar Tannery, Saba Export, Upper India Tannery, Globe Tannery, Sunrise Tannery, Commercial Tannery, New Era Tannery and Star Tannery. It also alleges that a prior intimation of inspection by the higher authorities is given to these tanneries, as a result, the tannery owners become vigilant and their violation does not come to light.

2. The OA raises substantial issue relating to the compliance of environmental norms.

3. Hence, we implead the following as respondents in this OA:-

- (i) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary, Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
- (ii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow - 226020
- (iii) Central Pollution Control Board (CPCB), through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032
- (iv) District Magistrate, Kanpur Nagar, DM Office, Collectorate, Civil Lines.
- (v) National Mission for Clean Ganga, through its Deputy Director General, 1st Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi - 110 002

4. Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. List on 27.11.2024".

ज्ञातव्य हों कि जाजमऊ स्थित 36 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 एवं चारों पम्पिंग स्टेशनों से ओवर फ्लो को गंगा नदी में प्रवाहित होने से रोके जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 31.07.2020 के अनुमोदनोपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्र संख्या 650/सा0-106/टैनरी-265/2020, दिनांक 30.09.2020 द्वारा जाजमऊ स्थित तत्समय संचालित 265 टैनरी इकाईयों को रोस्टर जारी किया गया था। 15 दिवस का लागू रोस्टर के अनुसार पम्पिंग स्टेशन-01 व पम्पिंग स्टेशन-03 से सम्बद्ध टैनरी इकाईयों को माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01 से 15 तक तथा पम्पिंग स्टेशन-02 व पम्पिंग स्टेशन-04 से सम्बद्ध टैनरी इकाईयों को माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30/31 में संचालन किया जाता है।

*Jain* *Pr* *dl* *ll* *dl* *Raj* *06*  
KPSG.

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 934/2024 रजत वर्मा बनाम सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के अनुक्रम में जिलाधिकारी, कानपुर नगर के कार्यालय आदेश संख्या 963(A)/एस0टी0-2024, दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 03.10.2024 व दिनांक 04.10.2024 को मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 03.09.2024 व कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्नांकित इकाईयों का संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है:-

क्र.सं.	टैनरी इकाई का नाम व पता	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ	अभियुक्ति
1.	M/s. Jamaal Industries (Jungle Tannery), 712, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	03.10.2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 206144/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/both/KANPUR NAGAR/2024 दिनांक 03.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकैलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
2.	<b>Pahlwan Tannery :-</b>			
i.	(File name - M/s G.P. Leathers (Pahalwan Tannery Unit-1), 2a, Arazi No.493, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur)	03.10.2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 79720/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 79722/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 24.02.2020 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकैलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

*Jajmau* *KESCO* *KS* *KS* *KS* *KS*

<p>ii. (File name - M/s Pahalwan Tannery Unit II 2A, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>03.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.435693 Longitude: 80.397041 Elevation: 147.88±2 m Accuracy: 12.8 m Time: 10:40:3024 15:09 Note: Pahalwan unit 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-20 हाईड/दिन अर्थात 500 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 75413/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 75420/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 29.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-7.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>iii. (File name - M/S Pahalwan Tannery Unit-iii 2a/3, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>03.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.435690 Longitude: 80.397383 Elevation: 147.88±74 m Accuracy: 13.9 m Time: 10:40:2024 15:11 Note: Pahalwan unit 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 72792/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 72795/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 28.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>3. M/s Gajala Tannery (Old Name - Razzak Tanners), 189/172-A(1), Dargah Shareef Chauraha, Jajmau, Kanpur</p>	<p>03.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.42865 Longitude: 80.407386 Elevation: 147.07±31 m Accuracy: 13.6 m Time: 10:03:2024 16:19 Note: Gajala Tannery</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 73138/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 73139/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 25.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

Jajmau  
KESCO  
Rajmau

4.	Tannery (File name - M/S Seema Tanning Industries Pvt Ltd 104/90-A 16,Wajidpur Jajmau, Kanpur)	04.10.2024	 <p>Latitude: 26.479686 Longitude: 84.15537 Elevation: 146.15194 m Accuracy: 13.0 m Time: 10-04-2024 17:25 Note: Seema Tanning Industries Photo by NoteCam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-50 हाईड/दिन अर्थात 1250 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 75160/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 75164/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 29.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.84, TSS-342 mg/l &amp; Total Cr.-6.89 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-17.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमत्य है।</li> </ul>
5.	Supreme Tannery (File name - M/s Supreme Tanning Industries 104/90 (A-7), 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur)	04.10.2024	 <p>Latitude: 26.419616 Longitude: 84.12219 Elevation: 141.95213 m Accuracy: 14.9 m Time: 10-04-2024 13:54 Note: Supreme Tannery Photo by NoteCam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-100 हाईड/दिन अर्थात 2500 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 72781/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 72779/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.49, TSS-348 mg/l &amp; Total Cr.-6.86 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-35.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमत्य है।</li> </ul>

Jawahar

Rajiv

KOS Co.

W. S.

Rajiv

Rajiv



6. Merit Tannery :-		
<p>i. (File name - M/s Merit Leather Finishers 414, Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>04.10.2024</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाईड से फिनिशड लेदर-110 हाईड/दिन अर्थात 2750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 68095/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 68097/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 11.11.2019 द्वारा सरात सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.89, TSS-386 mg/l &amp; Total Cr.-7.18 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-38.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>ii. (File name - M/s Merit Leather Products (M. T. M. Exims) 91-A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>04.10.2024</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश को राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-17262/सी-2/जल-874/बन्दी निक्षेप/24, दिनांक 13.09.2024 द्वारा सरात निक्षेपित किया गया है।</li> <li>वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है।</li> <li>निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया तथा औद्योगिक विद्युत कनेक्शन विच्छेदित पाया गया।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> </ul>



















7.	Shalimar Tannery (File name - M/s Shalimar Leather Industries 74-A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur)	04.10.2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से वेजीटेबल टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड फिनिशड लेदर-75 हाईड/दिन अर्थात 1875 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 72161/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 72166/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सराट सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.92, TSS-346 mg/l &amp; Total Cr.-6.96 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-26.25 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
8.	Saba Export, PA/104/90-A(28-C), Sanjay Nagar, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	04.10.2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 72161/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 72166/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सराट सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.96, TSS-398 mg/l &amp; Total Cr.-5.96 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

जावेद  
 रिकॉर्ड ऑफ  
 कोस्टो. 11/10/2024

9. Upper India Tannery :-			
i.	(File name - M/s Upper India Tannery Pvt. Ltd. (Old Name Mohd Ishaq And Mohd Ismail) 03.10.2024	 <p>Latitude: 26.434854 Longitude: 80.420588 Elevation: 143.1817 m Accuracy: 16.2 m Time: 10-03-2024 16:38 Note: Mohd Ismail, m. ismail</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार टैनरी उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H-75027/C-2/Closure Order-Water/NGT Cell-28/2022, दिनांक 30.04.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत हैं, जोकि वर्तमान में प्रभावी है।</li> <li>वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है।</li> <li>निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> </ul>
ii.	(File name - Upper India tanning industries, 38/32, Jajmau Kanpur) 03.10.2024	 <p>Latitude: 26.434243 Longitude: 80.400217 Elevation: 143.4812 m Accuracy: 14.2 m Time: 10-03-2024 16:31 Note: Upper India Tannery</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-200 हाईड/दिन अर्थात 5000 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 196092/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/both/KANPUR NAGAR/2023 दिनांक 22.01.2024 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-70.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमत्य है।</li> </ul>
10. Globe Tannery :-			
i.	(File name - M/s Globe Leather Finishers 88-A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur) 04.10.2024	 <p>Latitude: 26.425213 Longitude: 80.411728 Altitude: 82.413 m Accuracy: 64.1 m Time: 10-04-2024 15:42 Note: globe leather</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से स्प्लिट लेदर से फिनिश लेदर-05 हाईड/दिन अर्थात 500 स्प्लिट किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 84709/UPPCB/Kanpur Nagar (UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 एवं पत्रांक 84723/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 05.03.2020 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई बन्द पायी गयी, जिससे टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र नहीं किया जा सका।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-1.75 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमत्य है।</li> </ul>



ii.	(File name - M/s New Globe Exim 104/90-A-7 (2,3) 150 Feet Road, Wajidpur, Jajmau, Kanpur)	04.10.2024	 <p>Latitude: 26.422593 Longitude: 80.415635 Altitude: 81.462 m Accuracy: 22.4 m Time: 16-04-2024 14:13 Note: time globe exim</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाईड फिनिश लेदर-60 हाईड/दिन अर्थात 1500 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 74200/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 74203/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPURNAGAR/2019 दिनांक 20.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.67, TSS-318 mg/l &amp; Total Cr.-6.84 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-21.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
iii.	(File name - M/s Globe Leather Industries (Globe Industrial Corporation Unit-1) Plot No.37-A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur)	04.10.2024	 <p>Latitude: 26.423095 Longitude: 80.411924 Elevation: 124.36±17.62 m Accuracy: 35.00 m Time: 04-10-2024 17:48:10 Note: Globe Leather Ind</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से स्प्लिट लेदर से फिनिश लेदर-10 हाईड/दिन अर्थात 1000 स्प्लिट किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 72230/UPPCB/Kanpur Nagar (UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 एवं पत्रांक 73234/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 27.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-8.09, TSS-356 mg/l &amp; Total Cr.-7.49 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-3.50 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

<p>iv.</p> <p>(File name - M/s GLOBE TANNERS 52-A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>04.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.422947 Longitude: 80.413759 Altitude: 52.052 m Accuracy: 20.6 m Time: 04-10-2024 14:58 Note: Globe tanners</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 71488/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 71486/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPURNAGAR/2019 दिनांक 28.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.89, TSS-286 mg/l &amp; Total Cr.-6.97 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>v.</p> <p>(File name - M/s GLOBE INDUSTRIES 37-B, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>04.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.422971 Longitude: 80.412192 Elevation: 147.7612 m Accuracy: 107.3 m Time: 10-04-2024 13:36 Note: Globe industries</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से लेदर कटिंग, लेदर डस्ट से लेदर बोर्ड - 1000 किग्रा/दिन के उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 52045/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPURNAGAR/2019 पत्रांक 52043/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 28.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.74, TSS-432 mg/l &amp; Total Cr.-5.98 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-2.8 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

*Jain*

*Rishi*

*2.2*  
KPS CO.

*U. S.*

*R. S.*

*Q*

11.	M/s. Sunrise Tannery, Plot No.72, 150 Ft Road Jajmau Kanpur	04.10.2024	 <p>Latitude: 26.42617 Longitude: 80.409251 Elevation: 147.06150 m Accuracy: 11.3 m Time: 04-10-2024 15:24 Note: Sunrise tannery</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड फिनिश लेदर-150 हाईड/दिन अर्थात 3750 किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 73184/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 73186/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPURNAGAR/2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-03 (वाजिदपुर) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01-15 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.98, TSS-368 mg/l &amp; Total Cr.-7.22 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-52.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
12.	M/s. Commercial Tannery (File name - Old name Shadab Leather Finishers, 94/80, Dargah Sharif Road, Jajmau, Kanpur)	03.10.2024	 <p>Latitude: 26.429166 Longitude: 80.405085 Elevation: 94.7994 m Accuracy: 12.8 m Time: 10-03-2024 16:13 Note: commercial tannery</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ-25335/सी-2/सा-42/माघ मेला/2007, दिनांक 06.12.2007 एवं पत्र संख्या एफ-71039/सी-2/जल/बन्दी आदेश/1304/15, दिनांक 21.12.2015 द्वारा बन्दी आदेश/निर्देश निर्गत हैं, जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं।</li> <li>वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है।</li> <li>निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में साइज (8' x 8') के 02 नग ड्रम स्थापित पाये गये।</li> </ul>
13.	New Era Tannery			
i.	(File name - M/s New Era International 16-C(3),Gajjipurwa, Jajmau, Kanpur)	03.10.2024	 <p>Latitude: 26.424372 Longitude: 80.398185 Elevation: 148.97874 m Accuracy: 826.1 m Time: 10-03-2024 15:31 Note: New era international</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-60 हाईड/दिन अर्थात 1500 किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 197187/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/both/KANPUR NAGAR/2023 दिनांक 12.01.2024 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-21.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

Saurabh

Rishi

KOS CO.

V

RAM

S

<p>(File name -M/s New Era Tanning Centre 105/100, Gajipurwa, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>03.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.435781 Longitude: 83.298257 Elevation: 186.3817 m Accuracy: 68.2 m Time: 30-03-2024 15:23 NOTE: KANPUR IND</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से स्प्लिट लेदर से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 3000 (स्प्लिट) किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ.सी.एम.एम.एस. के पत्रांक 197186/UPPCB Kanpur Nagar(UPPCBRO) CTO/both/ KANPUR NAGAR/2023 दिनांक 14.01.2024 द्वारा सरात सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>14. Star Tannery :-</p>			
<p>i. (File name - M/s Star Tannery 19, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>03.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.432753 Longitude: 83.402855 Elevation: 142.37194 m Accuracy: 71.9 m Time: 30-03-2024 15:40 NOTE: STAR TANNERY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-200 हाईड/दिन अर्थात 5000 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ.सी.एम.एम.एस. के पत्रांक 75383/UPPCB KanpurNagar(UPPCBRO) CTO/water/ KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 75387/UPPCB Kanpur Nagar(UPPCBRO) CTO/air KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सरात सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-70.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>ii. (File name - M/s Star Tanning Industries 19-B, Laltipurwa, Wajidpur, Jajmau, Kanpur)</p>	<p>03.10.2024</p>	 <p>Latitude: 26.432908 Longitude: 83.401641 Elevation: 142.3719 m Accuracy: 12.1 m Time: 30-03-2024 15:39 NOTE: STAR TANNING IND</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-60 हाईड/दिन अर्थात 1500 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ.सी.एम.एम.एस. के पत्रांक 75173/UPPCB KanpurNagar(UPPCBRO) CTO water KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 75904/UPPCB KanpurNagar(UPPCBRO) CTO/air KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सरात सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय बन्दी रोस्टर के अनुपालन में उक्त टैनरी इकाई में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-21.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

जाजमऊ स्थित टैनरी इकाईयों को 15 दिवस का लागू रोस्टर के अनुसार पम्पिंग स्टेशन-01 व पम्पिंग स्टेशन-03 से सम्बद्ध टैनरी इकाईयों को माह के प्रथम पक्ष दिनांक 01 से 15 तक तथा पम्पिंग स्टेशन-02 व पम्पिंग स्टेशन-04 से सम्बद्ध टैनरी इकाईयों को माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30/31 में संचालन अनुमत्य है। मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 03.09.2024 व कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा उपर्युक्त कुल 24 टैनरी इकाईयों का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 व 04.10.2024 को किया गया। उक्तानुसार 12 इकाईयों (क्र0सं0 1, 2-(i), (ii), (iii), 3, 9-(i), (ii), 12, 13-(i), (ii), 14-(i), (ii)) पम्पिंग स्टेशन 02 से सम्बद्ध हैं, संयुक्त निरीक्षण में उक्त इकाईयों में बन्दी रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित पाया गया व इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता के अनुरूप स्थापित/नकेलित पाया गया एवं शेष 12 इकाईयों (क्र0सं0 4, 5, 6-(i), (ii), 7, 8, 10-(i), (ii), (iii), (iv), (v), 11) पम्पिंग स्टेशन 03 से सम्बद्ध हैं, संयुक्त निरीक्षण में उक्त इकाईयों में 50 प्रतिशत क्षमता पर उत्पादन कार्य किया जाता पाया गया एवं औद्योगिक उत्प्रावह प्राथमिक उत्प्रावह शुद्धिकरण संयन्त्र (पी0ई0टी0पी0) के माध्यम से मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाता पाया गया है। बन्दी रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित पाया गया तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता के अनुरूप स्थापित/नकेलित पाया गया।


अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 934/2024 रजत वर्मा बनाम सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन में जाजमऊ परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित टैनरी इकाईयों की रोस्टर/अवैध संचालन/अनुमत्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की संयुक्त निरीक्षण/जाँच आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित किये जाने हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
26/10/24

(सौरभ हैरिस)

जे0आर0एफ0

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
कानपुर नगर।

  
26/10/24

(विकास यादव)

जे0आर0एफ0


उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
कानपुर नगर।

  
26/10/24

(वैभव श्रीवास्तव)

परियोजना अभियन्ता


उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),  
कानपुर नगर।



(सुनील कुमार)


अधिशायी अभियन्ता

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड,  
केस्को, जाजमऊ, कानपुर नगर।

  
26/10/2024

(रोशन अम्बेडकर)


अपर सांख्यिकी अधिकारी  
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा  
उद्यमिता विकास केन्द्र,  
कानपुर नगर।

  
26/10/24

(आशुतोष पाण्डेय)

पर्यावरण अभियन्ता,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
कानपुर नगर।

  
26/10/24

अपर नगर मजिस्ट्रेट

(द्वितीय)

कानपुर नगर।



# 35 Annexure - R1/2<sup>22</sup>

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28501884/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: SEEMA TANNING INDUSTRIES PVT LTD, 104/90 A (16) wajidpur jajmau kanpur, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- Address of Industry: 104/90 A (16) wajidpur jajmau kanpur, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.84	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	342	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.89	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Digitally signed by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 16:09:35  
+05'30'  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)

आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA  
Digitally signed by  
AMIT MISHRA  
Regional Officer



REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243,Sadbhavana nagar,Awas vikas phase-3,Kalyanpur,Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28502008/Kanpur Nagar/2024

Date:22/10/2024

- 1- Name of Industry: SUPREME TANNING INDUSTRIES, 104/90 (A-7), 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR,KANPUR NAGAR,208010
- 2- Address of Industry: 104/90 (A-7), 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR,KANPUR NAGAR,208010
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.49	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	348	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.86	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 14:39:46  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)

आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA  
Digitally signed by  
AMIT MISHRA  
Regional Officer



**37**

24

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28501966/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: MERIT LEATHER FINISHERS, 414, SANJAY NAGAR, JAJMAU, KANPURNAGAR, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- Address of Industry: 414, SANJAY NAGAR, JAJMAU, KANPURNAGAR, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.89	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	386	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	7.18	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose


\*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)  
Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 14:38:35 +05'30'

  
आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA  
Regional Officer  
Digitally signed by AMIT MISHRA

**38**

25

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28502043/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: SHALIMAR LEATHER INDUSTRIES, 74-A, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- Address of Industry: 74-A, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.92	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	346	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.96	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose


\*Non-NABL Parameters.

Note 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA  
KUMAR DWIVEDI  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)  
Digitally signed by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 14:42:29  
+05'30'

  
आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT  
MISHRA  
Regional Officer  
Digitally signed by  
AMIT MISHRA

**39**

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Saddbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

26

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 28501868/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: Saba Exports , PA/104/90-A ( 28 C) Sanjay Nagar Wajidpur Jajmau
- 2- Address of Industry: PA/104/90-A ( 28 C) Sanjay Nagar Wajidpur Jajmau
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.96	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	398	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	5.96	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose


\*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 13:55:47 +05:30  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)

  
आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA  
Digitally signed by AMIT MISHRA  
Regional Officer

**40**

27

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vllkas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28501915/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: NEW GLOBE EXIM, 104/90-A-7 (2,3), 150 FT ROAD, WAJIDPUR, JAJMAU, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- Address of Industry: 104/90-A-7 (2,3), 150 FT ROAD, WAJIDPUR, JAJMAU, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.67	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	318	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.84	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose


\*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 14:34:16 +05'30'  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)

  
आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA  
Digitally signed by AMIT MISHRA  
Regional Officer





# 41

28

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28501931/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: GLOBE INDUSTRIES, 37-B, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR NAGAR
- 2- Address of Industry: 37-B, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR NAGAR
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.74	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	432	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	5.98	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose


\*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 14:36:49  
10030  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)

  
आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA  
Digitally signed by  
AMIT MISHRA  
Regional Officer



**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 28502152/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: GLOBE LEATHER INDUSTRIES (GLOBE INDUSTRIAL CORPORATION UNIT-1), PLOT NO.37-A, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- Address of Industry: PLOT NO.37-A, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	8.09	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	356	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	7.49	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Digitally signed by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 14:44:36  
+05:30'  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)

आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA  
Digitally signed by  
AMIT MISHRA  
Regional Officer



# 43

30

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 28501834/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: GLOBE TANNERS, 52-A, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR NAGAR
- 2- Address of Industry: 52-A, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR NAGAR
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.89	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	286	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.97	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by  
YOGENDRA  
KUMAR DWIVEDI  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)  
Digitally signed by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 15:36:43  
+05'30'

  
आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT  
MISHRA  
Regional Officer  
Digitally signed by  
AMIT MISHRA



# 44

31

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28502029/Kanpur Nagar/2024

Date: 22/10/2024

- 1- Name of Industry: Sunrise tannery, 72 a 150 fit road kanpur
- 2- Address of Industry: 72 a 150 fit road kanpur
- 3- District: Kanpur nagar
- 4- Description about sampling point: PETP OUT LET
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Om Prakash LA & JWALA PRASHAD ACM 2
- 7- Colour and Odour: SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- Quantity and Packing: 1 LIT BOTH GP AND HM
- 9- Date of Sample Collection: 04/10/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.98	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	368	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	7.22	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose


\*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-  
[Saurabh Haris (JRF)]


Authorized by  
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Yogendra Kr Dwivedi (SA)  
Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
Date: 2024.10.22 14:41:38 +05'30'



  
आशुतोष पाण्डेय  
पर्यावरण अभियन्ता



AMIT MISHRA  
Digitally signed by AMIT MISHRA  
Regional Officer


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 934/2024 रजत वर्मा बनाम सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन में जाजमऊ परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित टैनरी इकाईयों की रोस्टर/अवधि संचालन/अनुमन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की जाँच आख्या।

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर के आदेश संख्या 963(A)/एस0टी0-2024, दिनांक 17 सितम्बर, 2024 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 03.10.2024 व दिनांक 04.10.2024 को कुल 24 टैनरी इकाईयों का संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया है। रोस्टर के अनुसार तत्समय निरीक्षण में 09 टैनरी इकाईयों में बन्दी रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित पाया गया व इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता के अनुरूप स्थापित/नकेलित पाया गया। उक्त 09 टैनरी इकाईयों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सर्तकता के दृष्टिगत दिनांक 18.10.2024 को पुनः जाँच की गयी, जिसकी स्थिति क्रमशः है :-

क्र. सं.	टैनरी इकाई का नाम व पता	निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ	अभियुक्ति
1.	M/s. Jamaal Industries (Jungle Tannery), 712, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 206144/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/both/KANPURNAGAR/2024 दिनांक 03.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.79, TSS-396 mg/l &amp; Total Cr.-6.98 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

<p>2. (File name - M/s G.P. Leathers (Pahalwan Tannery Unit-1), 2a, Arazi No.493, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 79720/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 79722/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 24.02.2020 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-8.19, TSS-386 mg/l &amp; Total Cr.-6.89 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>3. (File name - M/S Pahalwan Tannery Unit-iii 2A/3, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 72792/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 72795/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 28.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.49, TSS-324 mg/l &amp; Total Cr.-7.29 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

<p>4. M/s Gajala Tannery (Old Name - Razzak Tanners), 189/172-A(1), Dargah Shareef Chauraha, Jajmau, Kanpur</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 73138/UPPCB/KanpurNagar (UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 73139/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 25.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान <b>pH-7.89, TSS-418 mg/l &amp; Total Cr.-7.23 mg/l</b> पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>5. (File name -Upper India tanning industries, 38/32, Jajmau Kanpur)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-200 हाईड/दिन अर्थात 5000 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 196092/UPPCB/KanpurNagar(UPPCBRO)/CTO/both/KANPUR NAGAR/2023 दिनांक 22.01.2024 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान <b>pH-7.88, TSS-402 mg/l &amp; Total Cr.-7.29 mg/l</b> पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-70.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

<p>6. (File name – M/s New Era International 16-C(3),Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिश लेदर-60 हाईड/दिन अर्थात 1500 किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 197187/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/both/ KANPUR NAGAR/2023 दिनांक 12.01.2024 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-8.09, TSS-396 mg/l &amp; Total Cr.-6.84 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-21.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>
<p>7. (File name -M/s New Era Tanning Centre 105/100, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से स्पिलिट लेदर से फिनिश लेदर-30 हाईड/दिन अर्थात 3000 (स्पिलिट) किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 197186/UPPCB/Kanpur Nagar (UPPCBRO)/CTO/both/ KANPUR NAGAR/2023 दिनांक 14.01.2024 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक नियत है।</li> <li>उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-8.09, TSS-376 mg/l &amp; Total Cr.-7.29 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।</li> <li>निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।</li> <li>टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-10.5 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।</li> </ul>

8. (File name - M/s Star Tannery 19, Jajmau, Kanpur)



Latitude: 26.431670  
Longitude: 80.401387  
Elevation: 127.25±48.95 m  
Accuracy: 61.00 m

कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-200 हाईड/दिन अर्थात 5000 किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ.सी.एम.एम.एस. के पत्रांक 75383/UPPCB/KanpurNagar (UPPCBRO)/CTO/water/ KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 75387/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।

उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।

निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-7.63, TSS-356 mg/l & Total Cr.-8.12 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।

टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-70.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।

कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ-हाइड से फिनिशड लेदर-60 हाईड/दिन अर्थात 1500 किग्रा/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु ओ.सी.एम.एम.एस. के पत्रांक 75173/UPPCB/KanpurNagar (UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 पत्रांक 75904/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/ 2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।

उक्त टैनरी इकाई पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको रोस्टर के अनुसार माह के द्वितीय पक्ष दिनांक 16-30/31 की अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्राप्त है।

निरीक्षण के समय टैनरी इकाई संचालित पायी गयी। टैनरी इकाई में स्थापित पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान pH-8.24, TSS-412 mg/l & Total Cr.-6.98 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

निरीक्षण के समय टैनरी इकाई में क्षमता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित/नकेलित पाया गया।

टैनरी इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक उत्प्रवाह-21.0 के.एल./दिन निस्तारित किये हेतु अनुमन्य है।

9. (File name - M/s Star Tanning Industries 19-B, Laltapurwa, Wajidpur, Jajmau, Kanpur)



Latitude: 26.431509  
Longitude: 80.401267  
Elevation: 66.07±100 m  
Accuracy: 7.1 m

निरीक्षण में उक्त 09 टैनरी इकाईयों में 50 प्रतिशत क्षमता पर उत्पादन कार्य किया जाता पाया गया व इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता के अनुरूप स्थापित/नकेलित पाया गया। टैनरी इकाईयों से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह प्राथमिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र (पी0ई0टी0पी0) के माध्यम से मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाता पाया गया है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 934/2024 रजत वर्मा बनाम सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन में जाजमऊ परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित टैनरी इकाईयों की रोस्टर/अवैध संचालन/अनुमन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की निरीक्षण/जाँच आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित किये जाने हेतु सादर प्रस्तुत है।

Jawase  
18/10/24  
(सौरभ हैरिस)  
जे0आर0एफ0

Vikas  
18.10.24  
(विकास यादव)  
जे0आर0एफ0

Pandey  
18/10/24  
(आशुतोष पाण्डेय)  
पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2) महोदय,

[Signature]  
18/10/2024



51

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145083/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** JAMAL INDUSTRIES, 712, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR
- 2- **Address of Industry:** 712, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.79	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	396	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.98	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

**Analysed by-**  
**[Saurabh Haris (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
 Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT MISHRA  
 Digitally signed by AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



52

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145079/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** G.P. LEATHERS (PAHALWAN TANNERY UNIT-1), 2A, ARAZI NO.493, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- **Address of Industry:** 2A, ARAZI NO.493, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY BROWNISH FOWL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	8.19	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	386	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.89	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

**Analysed by-**  
**[Sandeep Kumar Soniyal (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
 Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT MISHRA  
 Digitally signed by AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



53

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145092/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** PAHALWAN TANNERY UNIT-III, 2A/3, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- **Address of Industry:** 2A/3, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.49	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	324	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	7.29	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

**Remark:** NA

**Analysed by-**  
**[Sandeep Kumar Soniyal (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
 Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT MISHRA  
 Digitally signed by AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



54

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145095/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** GAZALA TANNERY (RAZZAK TANNERS), 189/172-A(1), DARGAH SHAREEF CHAURAHA, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- **Address of Industry:** 189/172-A(1), DARGAH SHAREEF CHAURAHA, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.89	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	418	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	7.23	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

**Analysed by-**  
**[Saurabh Haris (JRF)]**

**Authorized by**  
 Digitally signed  
 by YOGENDRA  
 KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT  
 Digitally signed by  
 MISHRA  
**Regional Officer**



55

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145098/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** Upper India Tanning Industries , 38/32, JAJMAU,
- 2- **Address of Industry:** 38/32, JAJMAU,
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & Saurabh Haris JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY BROWNISH FOWL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.88	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	402	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111- B: 2023	mg/l	7.29	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

**Remark:** NA

**Analysed by-**  
**[Sandeep Kumar Soniyal (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA Digitally signed  
 KUMAR DWIVEDI by YOGENDRA  
 KUMAR DWIVEDI KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT Digitally  
 signed by  
 MISHRA AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



56

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243,Sadbhavana nagar,Awas vikas phase-3,Kalyanpur,Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145113/Kanpur Nagar/2024

Date:24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** NEW ERA INTERNATIONAL, 16-C (3), GAJJUPURWA, JAJMAU,KANPUR NAGAR,208010
- 2- **Address of Industry:** 16-C (3), GAJJUPURWA, JAJMAU,KANPUR NAGAR,208010
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analys Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	8.09	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	396	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	6.84	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

**Remark:** NA

**Analysed by-**  
**[Sandeep Kumar Soniyal (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
 Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT MISHRA  
 Digitally signed by AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



57

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Saddbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145107/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** New Era Tanning Centre , 105/100, Gajjipurwa, Jajmau, Kanpur
- 2- **Address of Industry:** 105/100, Gajjipurwa, Jajmau, Kanpur
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & Saurabh Haris JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY GREYISH FOWL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	8.09	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	376	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111- B: 2023	mg/l	7.29	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

**Analysed by-**  
**[Saurabh Haris (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
 Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT MISHRA  
 Digitally signed by AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



58

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145118/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** STAR TANNERY, 19, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 2- **Address of Industry:** 19, JAJMAU, KANPUR, KANPUR NAGAR, 208010
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY GREYISH FOUL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.63	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	356	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	8.12	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

**Remark:** NA

**Analysed by-**  
**[Saurabh Haris (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
 Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT MISHRA  
 Digitally signed by AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



59

**REGIONAL LABORATORY KANPUR**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY**

Ref No: 29145126/Kanpur Nagar/2024

Date: 24/10/2024

- 1- **Name of Industry:** STAR TANNING INDUSTRIES, 19-B, LALTUPURWA, WAZIDPUR, JAJMAU, KANPUR
- 2- **Address of Industry:** 19-B, LALTUPURWA, WAZIDPUR, JAJMAU, KANPUR
- 3- **District:** Kanpur nagar
- 4- **Description about sampling point:** PETP OUTLET
- 5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
- 6- **Sample Collected By:** ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF
- 7- **Colour and Odour:** SLIGHTLY GREYISH FOUL
- 8- **Quantity and Packing:** 1 LIT. BOTH GP AND HM
- 9- **Date of Sample Collection:** 18/10/2024
- 10- **Analysis Indented by:** RO Kanpur Nagar
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	8.24	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	412	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111- B: 2023	mg/l	6.98	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: [www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf](http://www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf). Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

**Remark:** NA

**Analysed by-**  
**[Sandeep Kumar Soniyal (JRF)]**

**Authorized by**  
 YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
 Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI  
**Yogendra Kr Dwivedi (SA)**

AMIT MISHRA  
 Digitally signed by AMIT MISHRA  
**Regional Officer**



Annexure - R1/4

**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

संदर्भ सं०

Ref. No. H62110 /C-2/Water-1706/Kanpur

सेवा में,

दिनांक

Date 4-6-2021

पंजीकृत

प्रोजेक्ट मैनेजर,  
मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि०,  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101(एफएफ)  
कानपुर नगर।

**विषय-** वाजिदपुर, जाजमऊ के सी.ई.टी.पी. परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत संयंत्र संचालनकर्ता संस्था मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार जाजमऊ कानपुर स्थित 36 MLD CETP के शोधित उत्प्रवाह को 130 MLD STP के ट्रीटेड एप्लूएन्ट पम्प हाउस (T.E.P.H.) के सम्प में प्रेषित किया जाता है जोकि 130 MLD STP के शोधित सीवेज के साथ मिश्रित कर इरिगेशन चैनल को सम्प्रेषित किया जाता है। 130 MLD STP का संचालन दिनांक 01.03.2021 से मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर द्वारा किया जा रहा है। मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० द्वारा 130 MLD STP के मरम्मत कार्य सम्बन्धी सूचना/कार्ययोजना क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित नहीं गयी है एवं न ही सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त की गयी है। आख्यानानुसार T.E.P.H. पर स्थापित 11 नग पम्प में से मात्र 08 नग पम्प ही क्रियाशील अवस्था में है। 130 MLD STP व 36 MLD CETP से सम्प में प्रेषित सम्पूर्ण शोधित उत्प्रवाह को इरिगेशनल चैनल में पम्प न किये जाने के कारण सम्प में भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। Sluice Gate को आंशिक खोलकर एयरफोर्स नाले में उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने से, सम्प में अधिक भराव की स्थिति में Back Flow के कारण शोधित मिश्रित टैनरी उत्प्रवाह भी गंगा नदी में पहुँचना सम्भावित है। नियमित निरीक्षण में T.E.P.H. के सम्प से पूर्व स्थित Sluice Gate से शोधित सीवेज एयरफोर्स नाले में निस्तारित किये जाने एवं सी.एस.पी.एस. से अशोधित सीवेज बाईपास किये जाने, जोकि अन्ततः गंगा नदी में मिलता है, का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	दिनांक	टी.ई.पी.एच. से ओवरफ्लो/बाईपास	सी.एस.पी.एस० से ओवरफ्लो/बाईपास
1.	18.03.2021	हॉ	हॉ
2.	19.03.2021	हॉ	हॉ
3.	20.03.2021	हॉ	हॉ
4.	22.03.2021	हॉ	हॉ
5.	23.03.2021	हॉ	हॉ
6.	24.03.2021	हॉ	-
7.	25.03.2021	हॉ	-
8.	06.04.2021	हॉ	हॉ
9.	18.05.2021	हॉ	हॉ
10.	22.05.2021	हॉ	हॉ
11.	24.05.2021	-	हॉ
12.	25.05.2021	हॉ	हॉ
13.	27.05.2021	हॉ	हॉ
14.	28.05.2021	हॉ	हॉ
15.	29.05.2021	हॉ	हॉ
16.	31.05.2021	हॉ	हॉ
17.	01.06.2021	हॉ	हॉ
18.	02.06.2021	हॉ	हॉ
19.	03.06.2021	हॉ	हॉ

कुल 19 दिवसों में उल्लंघन पाया गया है जिन तिथियों में उत्प्रवाह का गंगा नदी में निस्तारण अवलोकित हुआ है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

-2-

130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में उत्प्रवाह निस्तारण रोके जाने हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 20.03.2021, 22.03.2021, 26.03.2021, 19.05.2021 व 01.06.2021 को पत्र प्रेषित किये गये हैं तथा बोर्ड मुख्यालय, के पत्र दिनांक 13.04.2021 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिलाधिकारी महोदय, कानपुर द्वारा नगर आयुक्त, कानपुर, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर तथा परियोजना प्रबन्धक, मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0) के साथ दिनांक 28.05.2021 को बैठक कर गंगा नदी में उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सतत निगरानी हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या 2654/एस.टी./2021 दिनांक 28.05.2021, प्रमुख सचिव, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को इस सम्बन्ध में संचालनकर्ता को उच्च स्तर से आवश्यक निर्देश हेतु प्रेषित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = Pl \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 37500/- प्रतिदिन आती है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 18.03.2021 से 06.04.2021 के मध्य कुल 08 उल्लंघन दिवसों हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये  $(37500 \times 8) = 3,00,000/-$  तथा दिनांक 18.05.2021 से 03.06.2021 के मध्य कुल 11 उल्लंघन दिवसों को Repeated Violation मानते हुए Deterrent effect को सम्मिलित कर प्रतिदिन के आधार पर आगणित धनराशि को दो गुना कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये  $(37500 \times 2 \times 11) = 8,25,000/-$  के अनुसार 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रुपये 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में वाजिदपुर, जाजमऊ के सी.ई.टी.पी. परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रुपये 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं सम्बंधित अधिकारियों का होगा।

सी.ई.टी.पी. जाजमऊ परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस0टी0पी0 के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किया गया है जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 का उल्लंघन है। जिसके लिये संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के साथ जल अधिनियम की धारा-47 के अन्तर्गत संचालनकर्ता संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी उत्तरदायी हैं।

अतः यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न संचालनकर्ता संस्था एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-43/44 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एक सप्ताह में बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में की गयी विधिक कार्यवाही हेतु संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से एस0टी0पी0 संचालक से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समयसीमा में प्राप्त न होने की रिश्ते में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, कानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No .....

H78513

/सी-शेजल - 1647 /शालिग्राम/22 दिनांक  
Date ..... 15-7-22

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०)  
3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं० 101, प्रथम तल,  
जनपद-कानपुर नगर।

विषय: मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 18.06.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित एयरफोर्स नाले के माध्यम से उत्प्रवाह को गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 09.06.2022 से दिनांक 17.06.2022 तक की अवधि में किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार जाजमऊ स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. एवं 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. का शोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किया गया है, जिससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जोकि पर्यावरण अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के पुनः निरीक्षण दिनांक 18.06.2022 को क्षतिग्रस्त राइजिंग मेन का मरम्मत कार्य पूर्ण कर सयंत्रों का संचालन सुचारु रूप से किया जाना पाया गया तथा उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होता नहीं पाया गया।

अतः 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. से सम्बद्ध टी.ई.पी.एच. का शोधित/अशोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी संस्था पर 09 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 37,500/- (रू० सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Penalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानानुसार दिनांक 09.06.2022 से दिनांक 17.06.2022 तक 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का शोधित/अशोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत 09 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रू० 3,37,500/- (तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

.....2...


टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com 14 ML0

-2-


उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू० 3,37,500/- (तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।


सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. 1186436 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/22

दिनांक

Date 29.12.2022

पंजीकृत

सेवा में,

भेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	7.9	147.0	202.0
2	11.11.22	7.92	138.0	202.0
3	19.11.22	8.06	60.0	86.0
4	25.11.22	7.49	34.5	78.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	22 Days (From 04.11.22 to 25.11.22)	22	1.5	1.25	8,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन की अवधि हेतु रू0 8,25,000/- (रू0 आठ लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/22

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date /.....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	7.96	64.5	64.0
2	30.12.22	7.59	54.0	53.0
3	03.01.23	7.73	48.0	46.0
4	09.01.23	7.75	57.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S. (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 24.12.22 to 09.01.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू० 6,37,500/- (रू० छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref.../UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/22

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 01/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	09.01.23	7.75	57.0	64.0
2	20.01.23	7.99	45.0	66.0
3	23.01.23	7.98	51.0	58.0
4	30.01.23	7.83	48.0	68.0
5	10.02.23	7.80	75.0	84.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विगृति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	32 Days (From 10.01.23 to 10.02.23)	32	1.5	1.25	12,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन की अवधि हेतु रू0 12,00,000/- (रू0 बारह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Re/190424/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 10/03/23

पंजीकृत

सोवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिरूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रवन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.02.23	7.80	75.0	84.2
2	17.02.23	7.99	51.0	76.0
3	20.02.23	8.12	57.0	98.6
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	10 Days (From 11.02.23 to 20.02.23)	10	1.5	1.25	3,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन की अवधि हेतु रू0 3,75,000/- (रू0 तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref. .... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	20.02.23	8.12	57.0	98.6
2	27.02.23	8.19	48.0	98.2
3	10.03.23	8.08	40.0	87.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 21.02.23 to 10.03.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू० 6,75,000/- (रू० छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०  
Ref: H93397/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक  
Date ....11/05/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

- विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	17.04.23	8.01	48.0	84.0
2	28.04.23	8.20	42.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	21 Days (From 11.03.23 to 31.03.23)	21	1.5	1.25	787500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन की अवधि हेतु रू0 787500/- (रू0 सात लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Aas



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

18/4/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.03.23	8.08	40.0	87.0
2	17.03.23	8.1	45.0	108.4
3	24.03.23	7.93	48.0	174.0
4	27.03.23	8.06	57.0	168.0
5	31.03.23	7.47	54.0	134.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	11 Days (From 18.04.23 to 28.04.23)	11	1.5	1.25	4,12,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 412500 /- (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Area



संदर्भ सं०  
Ref. 194627/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

78  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक  
Date 30/05/23  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.04.23	8.20	42.0	74.0
2	01.05.23	7.54	45.0	78.0
3	12.05.23	7.92	39.0	68.0
4	15.05.23	7.85	42.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 29.04.23 to 15.05.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 637500 /- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/c  
Spec  
30.05.23



संदर्भ सं०

Ref.....UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	15.05.23	7.85	42.0	68.0
2	22.05.23	7.85	36.0	50.0
3	29.05.23	7.77	42.0	68.0
4	02.06.23	7.87	39.0	67.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com


T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू० 675000/- (रू० छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c Jk  
19/6/2023



संदर्भ सं०

Ref: 191947. UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 19/7/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिसत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.87	39.0	67.0
2	09.06.23	7.98	33.0	68.0
3	12.06.23	7.52	30.0	38.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 11.06.2023 में कुल 09 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	09 Days (From 03.06.23 to 11.06.23)	09	1.5	1.25	3,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 11.06.2023 में कुल 09 दिन की अवधि हेतु रू0 337500/- (रू0 तीन लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c Jti  
19/7/2023



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref.....<sup>H03930</sup> UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date .....<sup>12/11/23</sup>  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.11.2023	7.86	36.0	62.0
2	14.11.2023	7.94	18.0	42.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.11.2023 से 13.11.2023 में कुल 04 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	4 days (10.11.23 to 13.11.23)	4	1.5	1.25	1,50,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.11.2023 से 13.11.2023 में कुल 04 दिन की अवधि हेतु रू0 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

अपदीय  
  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
  
 12.12.23



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल-2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.04.2024	8.02	81.0	316.0
2	09.04.2024	7.92	54.0	324.0
3	16.04.2024	7.96	51.0	112.0
4	23.04.2024	8.07	48.0	106.2
5	30.04.2024	8.00	51.0	98.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 02.04.2024 से 30.04.2024 में कुल 29 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010 Lucknow - 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com Web Site : www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	29 days (02.04.24 to 30.04.24)	29	1.5	1.25	10,87,500/-

अंतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 02.04.2024 से 30.04.2024 में कुल 29 दिन की अवधि हेतु रू0 10,87,500/- (रू0 दस लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C  
A/c  
24.05.24

Harshita  
24.05.24

Eng  
24/5/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 416236/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 27/08/24  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जून से अगस्त 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	11.06.2024	7.72	57.0	76.0	84000
2	17.06.2024	7.82	51.0	86.0	120000
3	25.06.2024	7.76	48.0	64.0	84000
4	02.07.2024	7.98	42.0	58.0	110000
5	09.07.2024	8.02	46.5	42.0	120000
6	16.07.2024	7.80	45.0	52.0	140000
7	23.07.2024	7.98	51.0	54.0	130000
8	30.07.2024	8.10	45.0	48.0	130000
9	06.08.2024	8.01	48.0	112.0	150000
10	13.08.2024	7.82	51.0	60.0	170000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन एस0 टी0 पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	63 Days (From 12.06.24 to 13.08.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू0 23,62,500/- (रू0 तेईस लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति -             | Water Pollution |
| 2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय -                | Kanpur          |
| 3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB           |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय  
  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
  
 27/08/24 27.08.24 27.8.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: H/1894/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 22/08/24  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अगस्त से सितम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	13.08.2024	7.82	51.0	60.0	170000
2	20.08.2024	7.91	48.0	54.0	130000
3	27.08.2024	7.88	42.0	34.0	120000
4	03.09.2024	7.96	39.0	36.0	79000
5	10.09.2024	7.84	69.0	128.0	94000
6	17.09.2024	7.92	72.0	48.0	140000
7	24.09.2024	7.94	69.0	52.0	94000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajman, Kanpur	42 Days (From 14.08.24 to 24.09.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 15,75,000/- (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति -             | Water Pollution |
| 2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय -                | Kanpur          |
| 3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB           |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

22/10/24 (LA), 22/10/24, 22/10/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

सेवा में,

725/0 / सी-2 / N.G.T.-28 / एन.डी.टी. / कानपुर / 22

दिनांक

Date

23/2/22

पंजीकृत

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं० 101, प्रथम तल,  
जनपद-कानपुर नगर।

विषय: मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 14.02.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानसार वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित एयरफोर्स नाले के माध्यम से उत्प्रवाह को गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 11.02.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार दिनांक 11.02.2022 रात्रि 08:25 बजे से विद्युत फाल्ट के कारण संयंत्रों का संचालन डी०जी० सेट से किया जा रहा है। सी०एस०पी०एस० पर आने वाले उत्प्रवाह को सी०ई०पी० एवं एस०टी०पी० को प्रेषित किया जा रहा था। निरीक्षण के समय 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का संचालन बन्द पाया गया तथा 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० संचालित पाया गया। निरीक्षण में 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के सभी एरियेटर तथा रिटर्न स्लज पम्प हाउस बन्द पाया गया। टी०ई०पी०एच० पर डी०जी० सेट से 04 पम्प संचालित पाये गये। टी०ई०पी०एच० से आने वाला लगभग आधा उत्प्रवाह एयर फोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा था, जिससे गंगा नदी के जलगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का संचालन एरियेशन तथा स्लज रिसकुलेशन के बिना किये जाने से शोधित उत्प्रवाह की गुणता अधोमानक होने पर एरियेशन टैंक से बायोगैस प्रवाहित हो जाने की प्रबल संभावना है। 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर विद्युत बाधा के दौरान प्रयोग हेतु डी०जी० सेट स्थापित नहीं किया गया है। माघ मेला के दौरान संयंत्रों का उचित संचालन सुनिश्चित रखे जाने हेतु संचालक संस्था को नोटिस प्रेषित की गयी थी, किन्तु संस्था द्वारा विद्युत बाधा के दौरान संयंत्रों का संचालन सुचारु रूप से किये जाने हेतु व्यवस्था पूर्ण नहीं की गयी है। क्षेत्रीय कार्यालय के पुनः निरीक्षण दिनांक 12.02.2022 को विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाने पर संयंत्रों का पूर्ण संचालन किया जाना पाये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी संस्था पर 01 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 37,500/- (रू० सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Panalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानसार दिनांक 11.02.2022 को वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित एयरफोर्स नाले के माध्यम से अशोधित सीवेज उत्प्रवाह को गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत एकल उल्लंघन हेतु कुल रू० 37,500/- (सैतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

-2-

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676.  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

AEE(V)/JE  
21/03/2022

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com

14 MLD.

-2-

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू० 37,500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref: 86437 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date 29-12-22  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	7.9	147.0	202.0
2	11.11.22	7.92	138.0	202.0
3	19.11.22	7.69	48.0	76.0
4	25.11.22	7.72	31.5	54.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	22 Days (From 04.11.22 to 25.11.22)	22	1.5	1.25	8,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन की अवधि हेतु रू0 8,25,000/- (रू0 आठ लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से लि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref. .... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/22

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

1-2-23

978

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

जिलाधिकारी  
कानपुर

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	8.31	48.0	48.0
2	30.12.22	7.76	48.0	41.0
3	03.01.23	7.89	39.0	49.0
4	09.01.23	7.98	54.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 24.12.22 to 09.01.23 )	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 6,37,500/- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref. H.90/24

UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/22

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date ..01/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	09.01.23	7.98	54.0	68.0
2	20.01.23	8.09	36.0	64.0
3	23.01.23	7.66	39.0	68.0
4	30.01.23	7.61	51.0	48.0
5	10.02.23	7.78	43.5	162.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

Web Site : www.uppcb.com

किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	32 Days (From 10.01.23 to 10.02.23)	32	1.5	1.25	12,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन की अवधि हेतु रू0 12,00,000/- (रू0 बारह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. 190422/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 10/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। रागरत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्राहीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.02.23	7.78	43.5	162.0
2	17.02.23	7.89	42.0	202.6
3	20.02.23	7.72	48.0	51.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	10 Days (From 11.02.23 to 20.02.23)	10	1.5	1.25	3,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन की अवधि हेतु रू० 3,75,000/- (रू० तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 रादस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं० 9/584  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक 5/4/23  
Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	20.02.23	7.72	48.0	51.2
2	27.02.23	8.06	39.0	42.4
3	10.03.23	7.96	51.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 21.02.23 to 10.03.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 6,75,000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 92594 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date .25.4.2023

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	31.03.23	7.54	46.5	68.0
2	06.04.23	7.29	39.0	46.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	06 Days (From 01.04.23 to 06.04.23)	6	1.5	1.25	225000


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन की अवधि हेतु रू0 225000 /—(रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या—701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Alec



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. 1931/20/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 03/05/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	06.04.23	7.29	39.0	46.0
2	17.04.23	7.72	42.0	40.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 07.04.2023 से 17.04.2023 में कुल 11 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	11 Days (From 07.04.23 to 17.04.23)	11	1.5	1.25	4,12,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 07.04.2023 से 17.04.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 412500 /- (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ofc  
Alwa



संदर्भ सं०

Ref./H.93396 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date ..11.05.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	17.04.23	7.72	42.0	40.2
2	28.04.23	7.84	39.0	44.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	11 Days (From 18.04.23 to 28.04.23)	11	1.5	1.25	4,12,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 412500 /- (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला





संदर्भ सं०

Ref. H.94.628/UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 30-5-23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.04.23	7.84	39.0	44.0
2	01.05.23	7.42	37.5	40.5
3	12.05.23	7.98	40.5	68.0
4	15.05.23	7.60	39.0	89.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764


Email : info@uppcb.com

Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 29.04.23 to 15.05.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 637500 /- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Jee  
30.05.23



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

19.6.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	15.05.23	7.60	39.0	89.0
2	22.05.23	7.52	49.0	55.0
3	29.05.23	7.49	48.0	76.0
4	02.06.23	7.63	45.0	56.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gombi Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 675000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c Jti  
19/6/2023



संदर्भ सं०

Ref: 197945... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 19/7/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.63	45.0	56.0
2	09.06.23	7.86	36.0	53.0
3	12.06.23	7.51	33.0	38.0
4	16.06.23	7.65	24.0	26.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 15.06.2023 में कुल 13 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	13 Days (From 03.06.23 to 15.06.23)	13	1.5	1.25	4,87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 15.06.2023 में कुल 13 दिन की अवधि हेतु रू0 487500/- (रू0 चार लाख सतासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/c Stt  
19/7/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-दिसम्बर 2023 से जनवरी 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	12.12.2023	8.19	42.0	58.0
2	22.12.2023	8.06	42.0	56.0
3	29.12.2023	8.08	39.0	46.0
4	05.01.2024	7.92	42.0	46.0
5	12.01.2024	8.18	39.0	66.0
6	19.01.2024	8.14	45.0	58.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6-5&9-0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 12.12.2023 से 19.01.2024 में कुल 39 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com

किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	39 Days (From 12.12.23 to 19.01.24)	39	1.5	1.25	14,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 12.12.2023 से 19.01.2024 में कुल 39 दिन की अवधि हेतु रू0 14,62,500/- (रू0 चौदह लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/c  
12.02.24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये है। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी से मार्च 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	19.01.2024	8.14	45.0	58.0
2	27.01.2024	7.96	51.0	72.0
3	02.02.2024	8.36	51.0	66.0
4	09.02.2024	8.26	42.0	68.0
5	16.02.2024	8.16	48.0	64.0
6	23.02.2024	8.18	51.0	60.0
7	27.02.2024	8.22	48.0	62.0
8	02.03.2024	8.19	48.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 20.01.2024 से 02.03.2024 में कुल 43 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	43 Days (From 20.01.24 to 02.03.24)	43	1.5	1.25	16,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 20.01.2024 से 02.03.2024 में कुल 43 दिन की अवधि हेतु रू0 16,12,500/- (रू0 सोलह लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

1/2/24 o/c  
18-03-24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक  
Date.....  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-अप्रैल 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.03.2024	8.19	48.0	64.0
2	05.03.2024	8.16	39.0	64.0
3	12.03.2024	8.32	45.0	68.0
4	18.03.2024	8.12	48.0	62.0
5	26.03.2024	8.22	39.0	52.0
6	02.04.2024	7.84	54.0	126.0
7	09.04.2024	7.69	51.0	128.0
8	16.04.2024	8.06	48.0	118.0
9	23.04.2024	7.94	51.0	96.0
10	30.04.2024	7.82	54.0	86.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.03.2024 से 30.04.2024 में कुल 59 दिन से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010 Lucknow - 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com Web Site : www.unnch.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	59 Days (From 03.03.24 to 30.04.24)	59	1.5	1.25	22,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 03.03.2024 से 30.04.2024 में कुल 59 दिन की अवधि हेतु रू0 22,12,500 /- (रू0 बाइस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c

Dec  
24.05.24

Harsh  
29.05.24

By  
24/5/24



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक:

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई से जून 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	30.04.2024	7.82	54.0	86.0
2	07.05.2024	7.94	48.0	116.0
3	14.05.2024	7.78	42.0	82.0
4	21.05.2024	7.67	39.0	74.0
5	28.05.2024	7.79	51.0	72.0
6	04.06.2024	7.92	39.0	78.0
7	11.06.2024	7.86	43.5	88.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	42 Days (From 01.05.24 to 11.06.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 15,75,000/- (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollutin/प्रदूषण की प्रकृति -              | Water Pollution |
| 2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय -                | Kanpur          |
| 3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB           |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

03/07/24  
03-07-24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या-116237/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 21/08/24  
पंजीकृत

शेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 43 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित माइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जून से अगस्त 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	11.06.2024	7.86	43.5	88.0	81000
2	17.06.2024	7.88	48.0	60.0	120000
3	25.06.2024	7.86	45.0	68.0	120000
4	02.07.2024	8.04	39.0	64.0	120000
5	09.07.2024	8.10	42.0	48.0	130000
6	16.07.2024	8.02	43.5	54.0	110000
7	23.07.2024	7.78	45.0	58.0	140000
8	30.07.2024	8.03	39.0	52.0	120000
9	06.08.2024	7.90	45.0	68.0	130000
10	13.08.2024	8.04	45.0	84.0	130000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com



उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	43 MLD Jajmau, Kanpur	63 Days (From 12.06.24 to 13.08.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 43 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू0 23,62,500/- (रू0 तेईस लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेंट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेंट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति -             | Water Pollution |
| 2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय -                | Kanpur          |
| 3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB           |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

P/c  
27/08/24 27-08-24

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

113

Ref. No. 456/795

सेवा में,  
परियोजना प्रबंधक  
मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम,  
कानपुर।

सी-2/सा०-78/स.ए.प./क्षतिपूर्ति/कानपुर/2021

दिनांक 01/12/2021  
Date

पंजीकृत

विषय:- मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर द्वारा सी०ई०टी०पी०, जाजमऊ से शोधित उत्प्रवाह के सतत अनुश्रवण हेतु स्थापित ऑनलाईन कान्टीनुअस एफ्लुएण्ट मॉनीटरिंग सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक 02.12.2020 को TSS & COD दि० 17.12.2020 को TSS, COD & BOD एवं दि० 18.12.2020 को TSS & COD की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि सी०ई०टी०पी० जाजमऊ का संचालन प्रभावी रूप से नहीं किया गया है तथा अशोधित उत्प्रवाह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में निस्तारित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के पृष्ठ सं०-465 पर उल्लिखित आदेश के अंश निम्नवत हैं -

"Any Government Agency, Public Authority, Industry or person who violates any of the directions contained in this judgement and more particularly in relation to storage, transportation of spent chrome liquor, dumping of any kind of waste in river Ganga and its tributaries or on the banks of the same and discharges effluents from outlet, including the STP/CETP in violation to the prescribed norms or is found to be discharging spent chrome liquor or any effluent containing chrome or otherwise, shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- for each breach or default. Besides above, where offence is related to chrome, in case of industry which is processing 30 or less hides per day, they would be liable to pay environmental compensation of Rs. 25,000/- per breach; industry entitled to process more than 30 but less than 100 hides per day, would be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- per breach and the industry processing more than 100 hides per day, Rs. 1,00,000/- per breach. The environmental compensation shall be recovered by the UPPCB on the basis of the violations detected by the Board, any of the inspecting agency or the inspection teams appointed by this Tribunal. In the event of default of payment of the environmental compensation, the industry shall be ordered to be closed."

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुसार उद्योग द्वारा किये गये जलीय प्रदूषण से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति उल्लंघन हेतु रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जानी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर पर दिनांक 02.12.2020, 17.12.2020 एवं 18.12.2020 को 03 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु कुल रूपये 1,50,000/- (रू० एक लाख पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Third Party

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*A*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

*E*

*LAK*  
*MLM*



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H65794/सा-2/सा०-78/CETP/2021  
Ref. No .....

दिनांक  
Date ..... 15-9-21

पंजीकृत

सेवा में,

महाप्रबंधक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम,  
कानपुर नगर।

**विषय-** जाजगऊ स्थित 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के आउटलेट से तथा तनुकरण के उपरान्त इरिगेशन चैनल में निस्तारित किये गये शोधित उत्प्रवाह के मानकों की पूर्ति न किये जाने के दृष्टिगत संचालनकर्ता संस्था गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के पत्र दिनांक 04.09.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार 36 MLD CETP के शोधित उत्प्रवाह को 130 MLD STP के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट पम्प हाउस (T.E.P.H.) के सम्म में प्रेषित किया जाता है जोकि 130 MLD STP के शोधित सीवेज के साथ मिश्रित कर इरिगेशन चैनल को सम्प्रेषित किया जाता है। 43 MLD STP व 05 MLD STP से शोधित सीवेज को पृथक से स्थापित राइजिंग मेन के माध्यम से इरिगेशन चैनल में निस्तारित किया जाता है।

गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर द्वारा दिनांक 18.03.2021 से दिनांक 03.06.2021 तक की अवधि में 130 MLD STP के अनियोजित मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये जाने से 130 MLD STP द्वारा मानकों की पूर्ति न किये जाने की दशा में CETP के फाइनल आउटलेट बिन्दु इरिगेशन चैनल पर डायलूशन के उपरान्त एकत्रित नमूनों में प्रचालक मानकों के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में 130 MLD STP के संचालन हेतु उत्तरदायी संस्था में कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा० लि० पर बोर्ड के पत्र दिनांक 04.06.2021 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 23.07.2021 द्वारा निरीक्षण दिनांक 12.03.2021, 17.06.2021 एवं 30.06.2021 में CETP के आउटलेट पर उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाना उल्लिखित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा दिनांक 17.06.2021 से दिनांक 30.06.2021 तक कुल 14 उल्लंघन दिवसों हेतु प्रतिदिन रुपये 37500/- की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर नगर पर कुल रू० 5,25,000/- (पाँच लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

PTO


टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com



प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम, प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या  
Ref. No. 74518

सी-2/वाटर-70/22

दिनांक  
Date: 20/4/22

सेवा में,

परियोजना प्रबंधक  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
बेनाझाबर रोड,  
जनपद-कानपुर नगर।

पंजीकृत

विषय:- मै० गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 19.04.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित 36 MLD CETP से इरिगेशन चैनल में अधोमानक निस्तारित किये गये शोधित उत्प्रवाह के संबंध में नियमित निरीक्षण एवं नमूना परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य किया गया। CETP के फाइनल आउटलेट बिन्दु इरिगेशन चैनल पर 36 MLD CETP, 130 MLD STP, 43 MLD STP तथा 05 MLD STP से शोधित मिश्रित उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है तथा डायलूशन के उपरान्त इरिगेशन चैनल पर नमूना एकत्रित किया जाता है। सी.ई.टी. पी. का संचालन पूर्ण क्षमता पर 36 एम.एल.डी. तथा 43 व 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का संचालन कम क्षमता औसतन क्रमशः 35 व 100 एम.एल.डी. पर संचालित हैं। इरिगेशन चैनल में लगभग 170 एम.एल.डी. मिश्रित उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है। इरिगेशन चैनल पर मानकों की पूर्ति नहीं पाये जाने के क्रम में संयंत्रों के आउटलेट पर परिणाम के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी संयंत्रों द्वारा एकल रूप से भी मानकों की पूर्ति नहीं की जा रही है। बोर्ड के पत्रांक एच 82110/सी-2/वाटर-1706/कानपुर दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से दिनांक 18.03.2021 से दिनांक 03.06.2021 की अवधि में उल्लंघन हेतु ₹ 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 01.06.2021 से 05.04.2022 तक के विश्लेषण परिणामों से स्पष्ट है कि अन्तिम निस्तारण बिन्दु इरिगेशन चैनल पर तथा संयंत्रों के आउटलेट पर निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। संयंत्रों द्वारा दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य कुल 295 दिवसों में उल्लंघन पाया गया है, जिसमें से 31 दिवसों में सीवेज हेतु प्रमुख प्रचालक वी.ओ.डी. का मात्रा इरिगेशन चैनल पर मानकों के अनुरूप पाये जाने के दृष्टिगत अन्य प्रचालकों के मान हेतु सी.ई.टी.पी. उत्तरदायी होगा।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 37,500/- (₹ 37,500 सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Panalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between, 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानानुसार 36 MLD CETP संयंत्र के आउटलेट एवं अन्तिम निस्तारण बिन्दु इरिगेशन चैनल पर मानकों की पूर्ति नहीं पाये जाने के दृष्टिगत दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य कुल 31 दिवस के डिफाल्ट के आधार पर कुल ₹ 11,62,500/- (₹ 11,62,500 ग्यारह लाख बाराठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

...2...

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

-2-

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मै० गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर पर कुल रू० 11,62,500/- (रू० ग्यारह लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ रिथत बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिथति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रमारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रमारी (वृत्त-2)

Date - 23.09.22



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ क्र. Ref. No.

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
बेनाझाबर रोड,  
जनपद-कानपुर नगर।

दिनांक

Date

16/9/22

5499

पंजीकृत

श्री जिलाधिकारी

कानपुर नगर

विषय:- मै० गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित 36 MLD CETP से इरिगेशन चैनल में अयोनामक उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने के कारण पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 74518/सी-2/सा०-78/22 दिनांक 20.04.2022 द्वारा दिनांक 04.06.2021 से 05.04.2022 के मध्य कुल 31 दिवस के डिफाल्ट के आधार पर कुल ₹० 11,62,500/- (रु० ग्यारह लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

अग्रेतर अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 23.08.2022 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र स्थित 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० का अनुश्रवण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा विभिन्न तिथियों में किया गया। दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 12.08.2022 तक सी०ई०टी०पी० द्वारा शोधित/आउटलेट के एकत्र किये गये जल नमूनों की विश्लेषण आख्या की सारणी निम्नवत् है:-

### 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी०

#### ANALYSIS REPORT OF 36 MLD CETP

S.No	Date	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Total Chromium (mg/l)	TC (MPN/100ml)	FC (MPN/100ml)	Achieving Standard
1.	05-04-2022	7.79	246	400	136	4.66	150000	91000	NO
2.	13-04-2022	7.86	212	420	182	4.72	210000	150000	NO
3.	20-04-2022	7.98	252	480	184	4.89	330000	210000	NO
4.	23-04-2022	7.84	258	460	190	4.66	220000	140000	NO
5.	25-04-2022	8.16	288	480	179	4.93	260000	170000	NO
6.	30-04-2022	8.26	252	460	182	4.89	270000	180000	NO
7.	04-05-2022	8.19	258	440	176	4.72	320000	260000	NO
8.	07-05-2022	8.26	262	480	180	4.14	390000	280000	NO
9.	13-05-2022	8.30	252	520	192	4.26	340000	220000	NO
10.	17-05-2022	8.27	258	480	182	4.92	270000	180000	NO
11.	20-05-2022	8.26	276	460	204	4.29	260000	170000	NO
12.	24-05-2022	8.06	294	520	216	4.66	310000	200000	NO
13.	27-05-2022	8.13	270	480	208	4.62	320000	220000	NO
14.	31-05-2022	8.06	276	460	182	4.48	340000	260000	NO
15.	06-06-2022	7.84	282	480	192	4.19	380000	280000	NO
16.	10-06-2022	8.08	288	460	204	4.51	330000	240000	NO
17.	13-06-2022	8.10	294	420	192	4.87	350000	210000	NO
18.	17-06-2022	7.90	276	460	192	4.72	340000	220000	NO
19.	20-06-2022	8.06	252	520	182	4.85	310000	210000	NO
20.	24-06-2022	7.64	262	560	204	4.88	380000	270000	NO
21.	28-06-2022	8.13	258	640	208	4.66	330000	220000	NO
22.	01-07-2022	7.82	294	480	216	5.69	310000	200000	NO
23.	04-07-2022	7.64	270	460	192	5.24	270000	170000	NO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

24.	08-07-2022	7.89	276	480	204	4.26	260000	150000	NO
25.	11-07-2022	7.87	288	460	208	4.19	230000	130000	NO
26.	15-07-2022	7.79	262	480	196	4.34	220000	140000	NO
27.	18-07-2022	7.86	258	420	216	4.68	270000	150000	NO
28.	22-07-2022	7.74	282	520	186	5.08	310000	170000	NO
29.	26-07-2022	7.82	276	460	182	4.96	280000	150000	NO
30.	29-07-2022	8.21	258	420	194	4.39	210000	140000	NO
31.	02-08-2022	8.16	264	440	196	4.19	270000	150000	NO
32.	05-08-2022	8.26	270	480	208	4.72	320000	210000	NO
33.	09-08-2022	8.16	258	420	182	4.14	260000	140000	NO
34.	12-08-2022	8.26	262	440	196	4.85	280000	170000	NO
Standards		6.5-9.0	30 (mg/l)	250 (mg/l)	100 (mg/l)	2 (mg/l)	-	<1000	

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 23.08.2022 द्वारा ओ०ए० सं०-118/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका के आधार पर दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 12.08.2022 के मध्य कुल 129 दिवसों के उल्लंघन हेतु सी०ई०टी०पी० संचालक संस्था मै० गंगा-प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर के विरुद्ध रू० 37,500/- प्रतिदिन की दर से कुल 129 दिवस के उल्लंघन हेतु रू० 48,37,500/- (अड़तालीस लाख सैतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मै० गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर पर कुल रू० 48,37,500/- (अड़तालीस लाख सैतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।
3. लेखा प्रमारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं/00922  
Ref. No. ....

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
बेनाझाबर रोड,  
कानपुर नगर।

दिनांक 19-9-23  
Date .....

पंजीकृत

विषय: गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर का निरीक्षण थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन टीम सी०एल०आर०आई० द्वारा दिनांक 29.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान सी०ई०टी०पी० के फाइनल आउटलेट (इरीगेशन ड्रेन) से निस्तारित उत्प्रवाह नमूने में प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये हैं। निरीक्षण आख्या में उल्लिखित recommendations/Suggestion निम्नवत् है:-

1. Logbooks should be maintained properly.
2. Documents should be readily available in the CETP.
3. Flow meters should be maintained and calibrated periodically.
4. Screens should be maintained and cleaned periodically.
5. Proper mixing arrangement in the equalization tanks should be provided.
6. UASB is to be operated as per design conditions. Flow through the UASB needs to be controlled.
7. Methane storage and proper management should be performed.
8. Hazardous waste authorization should be made available during inspection.
9. logbook of CETP sludge and disposal details like Form 10 should be maintained and should be readily available in the CETP.
10. OCEMS should be installed, maintained properly and connectivity with the CPCB and UPPCB servers should be ensured.
11. Trained manpower and chemist should be recruited for proper CETP maintained and effluent sample analysis.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 37,500/- प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Panalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 लिया गया है।

थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन टीम द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 29.05.2023 के समय प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने के दृष्टिगत 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर के संचालन हेतु उत्तरदायी परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर के विरुद्ध 01 दिवस के उल्लंघन अवधि हेतु रू० 37,500 प्रतिदिन की दर से रू० (37500 x 1) = रू० 37,500/- (रू० सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बेनाझाबर रोड, कानपुर नगर पर कुल रू० 37,500/- (रू० सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिथति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का स्वयं का होगा।

...2...

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com


T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com 14.MLD.



-2-


साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि थर्ड पार्टी टीम इन्सपेक्शन टीम द्वारा दिये उपरोक्त recommendations/Suggestion पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या 15 दिन के अंदर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2



136

Annexure - R1/523

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संख्या - 436/स्था - 10/23

दिनांक - 10-7-23

सेवा में,

## 1. परियोजन प्रबन्धक,

गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),  
कानपुर नगर।

## 2. प्रोजेक्ट मैनेजर,

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट न० 101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:-** जनपद कानपुर नगर में मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा० लि० (मैसर्स के०आर०एम०पी०एल०) द्वारा संचालित 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० बिनगवॉ, एवं 130, 43 व 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अद्यत कराना है जनपद कानपुर नगर में 130, 43 व 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ एवं 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० बिनगवॉ का संचालन एवं अनुरक्षण मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा० लि० (मैसर्स के०आर०एम०पी०एल०) द्वारा किया जा रहा है।

आप अद्यत हों कि विगत वर्षों में जनपद कानपुर नगर में आप द्वारा संचालित किये जा रहे 130, 43 व 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ एवं 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० बिनगवॉ द्वारा शोधित उत्प्रवाह के मानकों की पूर्ति न होने/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत संचालनकर्ता सस्था के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निम्नांकित पत्रों के माध्यम से (छायाप्रतियों संलग्न) अद्यतन तक 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर कुल रूपये 1,60,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर कुल रूपये 91,07,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर कुल रूपये 61,12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर कुल रूपये 12,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है तथा 15 दिवसों में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अद्यतन तक अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा नहीं किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित किये जानी वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है:-

Environmental Compensation Details on 210 MLD STP, Bingawan				
S.No.	Name of the Unit	EC Amount	Letter No.	Impose Date
1.	210 MLD STP, Bingawan, Kanpur	45,25,000	H67395/C-2/JAL-1706/21	22.10.2021
2.		37,50,000	H75683/C-2/JAL-1706/2022	17.05.2022
3.		1,87,500	H77335/C-2/JAL-1706/kshatipurti/kanpur/22	17.06.2022
4.		9,00,000	H85404/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	09.12.2022
5.		9,75,000	H86438/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	29.12.2022
6.		10,50,000	H86932/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	06.01.2023
7.		7,50,000	H88117/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.02.2023
8.		10,87,500	H90116/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.03.2023
9.		4,50,000	H90421/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	10.03.2023
10.		6,00,000	H91586/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	05.04.2023
11.		7,87,500	H92100/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	18.04.2023
12.		2,25,000	H92593/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	25.04.2023
13.		3,00,000	H93149/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	03.05.2023
14.		4,12,500	H93398/UppCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	11.05.2023
<b>Total Amount :-</b>		<b>1,60,00,000</b>		

कृपया...

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर- 208017

ई-मेल:- [rokanpur@uppcb.in](mailto:rokanpur@uppcb.in) फोन : 2510999

Jajmao\_Letter Head\_Himanshu

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(2)

Environmental Compensation Details on 130 MLD STP, Jajmau				
S.No.	Name of the Unit	EC Amount	Letter No.	Impose Date
1.	130 MLD STP, Jajmau, Kanpur	11,25,000	H62110/C-2/Water-1706/Kanpur	04.06.2021
2.		3,37,500	H78513/C-2/JAL-1647/kshatipurti/22	15.07.2022
3.		14,20,000		21.10.2022
4.		8,25,000	H86436/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	29.12.2022
5.		6,37,500	H88119/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.02.2023
6.		12,00,000	H90123/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.03.2023
7.		3,75,000	H90424/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	10.03.2023
8.		6,75,000	H91585/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	05.04.2023
9.		7,87,500	H92102/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	18.04.2023
10.		4,12,500	H93397/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	11.05.2023
11.		6,37,500	H94627/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	30.05.2023
12.		6,75,000	H95987/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	19.06.2023
<b>Total Amount :-</b>		<b>91,07,500</b>		

Environmental Compensation Details on 43 MLD STP, Jajmau				
S.No.	Name of the Unit	EC Amount	Letter No.	Impose Date
1.	43 MLD STP, Jajmau, kanpur	37,500	H72510/C-2/N G T -28/Kshatipurti/Kanpur/22	08.03.2022
2.		8,25,000	H93397/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	29.12.2022
3.		6,37,500	H88118/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.02.2023
4.		12,00,000	H90129/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.03.2023
5.		3,75,000	H90422/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	10.03.2023
6.		6,75,000	H91584/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	05.04.2023
7.		2,25,000	H92594/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	25.04.2023
8.		4,12,500	H93150/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	03.05.2023
9.		4,12,500	H93396/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	11.05.2023
10.		6,37,500	H94628/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	30.05.2023
11.		6,75,000	H95989/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	19.06.2023
<b>Total Amount :-</b>		<b>61,12,500</b>		

Environmental Compensation Details on 05 MLD STP, Jajmau				
S.No.	Name of the Unit	EC Amount	Letter No.	Impose Date
1.	05 MLD STP, Jajmau, kanpur	2,75,000	H86435/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	29.12.2022
2.		2,12,500	H88116/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.02.2023
3.		4,00,000	H90117/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22	01.03.2023
4.		1,25,000	H90423/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	10.03.2023
5.		2,25,000	H91583/U/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23	05.04.2023
<b>Total Amount :-</b>		<b>12,37,500</b>		

ॐॐॐॐ

(3)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत बॉर्ड मुख्यालय द्वारा अद्यतन तक 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर कुल रूपये 1,60,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर कुल रूपये 81,07,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 43 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर कुल रूपये 61,12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर कुल रूपये 12,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान यथाशीघ्र कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में भू-राजस्व की नॉति वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु बिना किसी पूर्व सूचना के संस्तुति सक्षम स्तर को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

(ई0 अभित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर नगर को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि जनपद कानपुर नगर में संचालित उक्त समस्त एस0टी0पी0 हेतु कार्यदायी/जिम्मेदार संस्था के विरुद्ध अधिसूचित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान ससमय कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही रिपोर्ट रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

सदर - 435/सा-18/23

दिनांक:- 10-7-23

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
कानपुर नगर।

**विषय:- जनपद कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में संचालित 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० एवं 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है जनपद कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में संचालित 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० एवं 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का संचालन एवं अनुरक्षण गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा किया जा रहा है।

आप अवगत हों कि विगत वर्षों में जनपद कानपुर नगर में आप द्वारा संचालित किये जा रहे 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० एवं 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० द्वारा शोधित उत्प्रवाह के मानकों की पूर्ति न किये जाने/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत संचालनकर्ता संस्था के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निम्नांकित पत्रों के माध्यम से (छायाप्रतियाँ संलग्न) अद्यतन तक 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० पर कुल रूपये 66,75,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर कुल रूपये 9,12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है तथा 15 दिवसों में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अद्यतन तक अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा नहीं किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित किये जानी वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है:-

Environmental Compensation Details on 36 MLD CETP, Jajmau				
S.No.	Name of the Unit	EC Amount	Letter No.	Impose Date
1.	36 MLD CETP, Jajmau, Kanpur	1,50,000		01.01.2021
2.		5,25,000		15.09.2021
3.		11,62,500	H74518/C-2/SA-78/22	20.04.2022
4.		48,37,500	H81927/C-2/JAL-1647/22	16.09.2022
Total Amount :-		66,75,000		

Environmental Compensation Details on 05 MLD STP, Jajmau				
S.No.	Name of the Unit	EC Amount	Letter No.	Impose Date
1.	05 MLD STP, Jajmau, Kanpur	2,62,500	H92127/Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/23	18.04.2023
2.		75,000	H92569/Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/23	25.04.2023
3.		1,37,500	H93395/Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/23	11.05.2023
4.		2,12,500	H94690/Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/23	30.05.2023
5.		2,25,000	H95986/Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/23	19.06.2023
Total Amount :-		9,12,500		

कृ०प्र०उ०.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर- 208017

ई-मेल:- [rokanpur@uppcb.in](mailto:rokanpur@uppcb.in) फोन : 2510999

Jajmau\_Letter Head\_Himanshu

(2)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय द्वारा अद्यतन तक 36 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 पर कुल रूपये 66,75,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर कुल रूपये 9,12,500/- का भुगतान यथाशीघ्र कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में भू-राजस्व की भौति यसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु बिना किसी पूर्व सूचना के संस्तुति सक्षम स्तर को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक:- यथांपरि।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पूत-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), कानपुर नगर को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि जनपद कानपुर नगर में संचालित 36 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 एवं 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के विरुद्ध अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान ससमय कराने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही रिपोर्ट रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

128

REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 582/सा०-18/24

दिनांक:- 03-07-24

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

अधिकाधी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
कानपुर नगर।

विषय:- जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र में स्थित 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० से अशोधित सीवेज गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के पक्ष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है जनपद कानपुर नगर क्षेत्र में स्थित 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० का संचालन सुचारु पूर्वक/मानकों के अनुरूप न किये जाने से अनुपचारित सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत संचालनकर्ता संस्था के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा कुल रुपये 1,23,60,500/- (एक करोड़ तेईस लाख साठ हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है तथा 15 दिवसों में बोर्ड के पक्ष जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अद्यतन तक अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के पक्ष में जमा किये जाने की सूचना बोर्ड को अप्राप्त है। संक्षिप्त विवरण क्रमशः है:-

- 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर - कुल रुपये 56,85,500/- (छप्पन लाख पच्चासी हजार पाँच सौ रुपये)।
- 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर - कुल रुपये 66,75,000/- (छियासठ लाख पचहत्तर लाख रुपये)।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रुपये 1,23,60,500/- (एक करोड़ तेईस लाख साठ हजार पाँच सौ रुपये मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150) के पक्ष में जमा कराते हुए साक्ष्य सहित तथ्यात्मक विवरण बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की दशा में माननीय एन०जी०टी० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में भू-राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु बिना किसी पूर्व सूचना के संस्तुति सक्षम स्तर को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

  
(श्री० अमित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण गण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), कानपुर नगर को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान ससमय कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित तथा कृत कार्यवाही रिपोर्ट रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



# क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

129

REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 639/सा०-18/24

दिनांक:- 12-07-2024

अनुस्मारक/समयबद्ध

सेवा में,

1. प्रोजेक्ट डायरेक्टर,  
मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेण्ट प्रा० लि०,  
एस०पी० सेन्टर, 41/44, मीनो देसाई मार्ग,  
मुम्बई-400005।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर,  
मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेण्ट प्रा० लि०,  
एस०पी० सेन्टर, 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101 (एफएफ),  
कानपुर नगर।

विषय:- जनपद कानपुर नगर में मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेण्ट प्रा० लि० द्वारा संचालित सीवेज शोधन संयंत्रों (एस०टी०पी०) का संचालन सुचारु पूर्वक न किये जाने से अनुपचारित सीवेज गंगा नदी व सहायक पाण्डु नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के पक्ष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि जनपद कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में स्थित 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं बिनगवा क्षेत्र में स्थित 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का संचालन मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेण्ट प्रा० लि० द्वारा किया गया जा रहा है, के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त सीवेज शोधन संयंत्रों का संचालन सुचारु पूर्वक/मानकों के अनुरूप न किये जाने से अनुपचारित सीवेज गंगा नदी व सहायक पाण्डु नदी में निस्तारित होने के दृष्टिगत संचालनकर्ता संस्था के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा अद्यतन तक कुल रूपये 7,16,82,500/- (सात करोड़ सोलह लाख बयासी हजार पाँच सौ रूपये) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, किन्तु अद्यतन तक अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के पक्ष में जमा किये जाने की सूचना बोर्ड को अप्राप्त है। संक्षिप्त विवरण क्रमशः है:-

- 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ - कुल रूपये 1,39,45,000/- (एक करोड़ उन्तालीस लाख पैंतालीस हजार रूपये)।
- 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ - कुल रूपये 1,53,00,000/- (एक करोड़ तिरपन लाख रूपये)।
- 130, 43 व 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ - कुल रूपये 1,21,12,500/- (एक करोड़ इक्कीस लाख बारह हजार पाँच सौ रूपये)।
- 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बिनगवाँ - कुल रूपये 3,03,25,000/- (तीन करोड़ तीन लाख पच्चीस हजार रूपये)।

ज्ञातत्व हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक 436/सा-18/23, दिनांक 10.07.2023 द्वारा तददिनांक तक 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ व 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बिनगवाँ, कानपुर नगर के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के पक्ष में जमा किये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर नगर एवं प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेण्ट प्रा० लि०, कानपुर नगर को नोटिस पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु वर्तमान तक अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर में अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 7,16,82,500/- (सात करोड़ सोलह लाख बयासी हजार पाँच सौ रूपये) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150) के पक्ष में जमा कराते हुए साक्ष्य सहित तथ्यात्मक विवरण बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृ०पृ०उ०.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर- 208017

ई-मेल:- [rokanpur@uppcb.in](mailto:rokanpur@uppcb.in) फोन : 2510999

अन्यथा की दशा में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में भू-राजस्व की भौति वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु बिना किसी पूर्व सूचना के संस्तुति सक्षम स्तर को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर नगर एवं परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 7,16,82,500/- को उल्लिखित खाता संख्या में बोर्ड के पक्ष में ससमय जमा कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित तथा कृत कार्यवाही रिपोर्ट रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: UPPCB/CL/659/ STP 130 MLD Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक:

सेवा मे,  
जिलाधिकारी,  
जनपद-कानपुर,  
मौ० नं०-9454417554.

**विषय:** जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86436/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86931/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88119/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90123/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90424/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91585/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92102/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92595/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93151/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93397/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94627/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95984/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 19.06.2023 एवं एच 97947/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 19.07.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	कानपुर	130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड) 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	04.11.22 - 25.11.22	8,25,000/-
			26.11.22 - 23.12.22	10,50,000/-
			24.12.22 - 09.01.23	6,37,500/-
			10.01.23 - 10.02.23	12,00,000/-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
WebSite : www.uppcb.com

				11.02.23 - 20.02.23	3,75,000/-
				21.02.23 - 10.03.23	6,75,000/-
				11.03.23 - 31.03.23	7,87,500/-
				01.04.23 - 06.04.23	2,25,000/-
				07.04.23 - 17.04.23	4,12,500/-
				18.04.23 - 28.04.23	4,12,500/-
				29.04.23 - 15.05.23	6,37,500/-
				16.05.23 - 02.06.23	6,75,000/-
				03.06.23 - 11.06.23	3,37,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)					82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।


भवदीय

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

  
सदस्य सचिव

ofc  
He 



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 107108 UPPCB/CL/662/ STP 05 MLD, Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक: 19/10/24

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद-कानपुर,  
मो 0 नं-9454417554.

**विषय:** जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86435/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86929/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88116/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90117/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90423/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91583/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92127/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92596/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93152/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93395/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94690/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95986/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023, एच 97943/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023, एच 97987/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 20.07.2023, एच 98773/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 02.08.2023, एच 99461/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 16.08.2023, एच 99978/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 28.08.2023, एच 00548/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.09.2023, एच 01131/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 22.09.2023, एच 01538/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.10.2023 एवं एच 02334/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
WebSite : www.uppcb.com



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)	
1	कानपुर	05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर	परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण, नियंत्रण इकाई, यू०पी० जल निगम (नगरीय) कानपुर	04.11.22 - 25.11.22	2,75,000/-
				26.11.22 - 23.12.22	3,50,000/-
				24.12.22 - 09.01.23	2,12,500/-
				10.01.23 - 10.02.23	4,00,000/-
				11.02.23 - 20.02.23	1,25,000/-
				21.02.23 - 10.03.23	2,25,000/-
				11.03.23 - 31.03.23	2,62,500/-
				01.04.23 - 06.04.23	75,000/-
				07.04.23 - 17.04.23	1,37,500/-
				18.04.23 - 28.04.23	1,37,500/-
				29.04.23 - 15.05.23	2,12,500/-
				16.05.23 - 02.06.23	2,25,000/-
				03.06.23 - 26.06.23	3,00,000/-
				27.06.23 - 03.07.23	87,500/-
				04.07.23 - 10.07.23	87,500/-
				11.07.23 - 28.07.23	2,25,000/-
				29.07.23 - 14.08.23	2,12,500/-
				15.08.23 - 28.08.23	1,75,000/-
29.08.23 - 05.09.23	1,00,000/-				
06.09.23 - 18.09.23	1,62,500/-				
19.09.23 - 03.10.23	1,87,500/-				
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				41,75,000/- (रु० इक्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 41,75,000/- (रू0 इक्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय




(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो0 न0 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।



सदस्य सचिव



14.02.24